उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 8-4-1985 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1985 की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1- श्री खान गुफरान जाहिदी		अध्यक्ष
2- श्री मीर मजहर अली		सदस्य
3- श्री माता प्रसाद		सदस्य
4- श्री नौनिहाल सिंह		सदस्य
5- श्री एस0के0शर्मा	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ	सदस्य
6- श्रीमती मंजुलिका गौतम	संयुक्त सचिव, आवास (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्या
7- श्री प्रेम नारायण	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि।	सदस्य
8- श्री एन0एस0चौधरी	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
9- श्री शम्भु नाथ	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 29/30-1-85 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	द्वितीय/(1)/85	परिषद की दिनांक 29/30-1-85 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 29/30-1-85 का अनुपालन आख्या।	द्वितीय/(2)/85	परिषद द्वारा दिनांक 29/30-1-85 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के आयन्वियन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- बैठक में बताया गया कि मुरादाबाद और अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा किये गये अनाधिकृत अध्यासन के संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृषित करते हुये उन्हें एक पत्र अध्यक्ष महोदय की ओर से दिनांक 1-2-85 को भेजा गया है और उसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस समस्या का शीघ्र निराकरण करायें। निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय अपनी सुविधानुसार किसी समय माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर उनसे इस समस्या तथा परिषद की अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु कोई समय ले लें ताकि सम्बन्धित अधिकारियों की एक बैठक माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर पर कराकर समस्या का निराकरण कराया जा सके। 2- बैठक में बताया गया कि बैलेन्सशीट बनाने का कार्य समयबद्ध ढंग से किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि वर्ष-80-81 की बैलेंसशीट भी तैयार कर ली गयी है और परिषद को इस में प्रस्तुत की जा रही है। निर्णय लिया गया कि परिषद की पिछली बैठक में बैलेंसशीट बनाने के लिये जो समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1	2	3	4
			यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की प्रत्येक बैठक में इस संदर्भ में अद्यावधिक प्रगति से अवश्य अवगत कराया जाये। बैठक में यह भी बताया गया कि परिषद द्वारा लिये गये निर्णयानुसार बैलेंसशीट दी और परिषद की समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती है जिससे अनावश्यक समय लगता है और कार्य में व्यवधान होता है। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि बैलेंसशीट बनाकर सीधे सम्परीक्षा हेतु भेज दी जाये और सम्परीक्षा कराने के बाद सम्परीक्षण आख्या सहित बैलेंसशीट परिषद की बैठक में प्रस्तुत की जाये। 3- वर्ष-1977-78 के धन विनियोजन सम्बन्धी अभिलेखों के अप्राप्त होने के सम्बन्ध में जाँच हेतु गठित समिति की अन्तिम आख्या पर विचार-विमर्श हुआ और निर्णय लिया गया कि अभिलेखों के आधार पर जो विनियोजन बैंकों में हुये हैं उसका सत्यापन शीघ्र कराया जाये और प्रगति से परिषद को अगली बैठक में अवगत कराया जाये। 4- परिषद की पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भूखण्डों के मूल्यांकन से सम्बन्धित किसी विस्तृत योजना का पूर्ण विवरण परिषद की अगली बैठक में रखा जाये ताकि परिषद को मूल्यांकन की विस्तृत जानकारी हो सके। इस सम्बन्ध में पुनः विस्तार से विचार विमर्श हुआ और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मूल्यांकन समिति में श्री श्री एन0एस0 जौहरी, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा श्री प्रेम नारायण, संयुक्त सचिव, वित्त को भी सम्मिलित कर लिया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की दो बैठकों के बीच में जो भी मूल्यांकन हों उनमें से सबसे कम के मूल्यांकन तथा सबसे अधिक के मूल्यांकन के विवरण परिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जायें।
3- वर्ष-1984-85 का पुनरीक्षित एवं वर्ष-1985-86 का आय-व्ययक।		द्वितीय/(3)/85	वर्ष-1984-85 का पुनरीक्षित एवं 85-86 का आय-व्ययक परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति प्रदान करते समय निर्णय लिया गया कि आय-व्ययक में जो व्यय प्रस्तावित है उसके अनुरूप ही आय की भी धनराशि होनी चाहिये। तदनुरूप आय के स्रोतों का अनुमान करते हुये आय के मद में संशोधन कर लिया जाये ताकि आय और व्यय की धनराशि समान रहे।
4- बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।		द्वितीय/(4)/85	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- भूमि अध्याप्ति अधिनियम में हुये संशोधनों के फलस्वरूप आ रही कठिनाईयों तथा अन्य प्रशासनिक कठिनाईयों के निवारणार्थ माननीय मुख्य मंत्री जी की [illegible] सुविधानुसार किसी दिन परिषद [illegible] पर

1	2	3	4
			आमन्त्रित किया जाये और इसके लिये एक पृष्ठभूमि टिप्पणी पहले से तैयार कर ली जाये और शासन के सम्बन्धित विभाग के माध्यम से भिजवा दी जाये। जिन योजनाओं में परिषद को भूमि का कब्जा प्राप्त हो चुका है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देने के बाद शासन द्वारा कतिपय कारणों से निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है ऐसे समस्त प्रकरणों का उल्लेख करते हुये शासन को संदर्भ भिजवाया जाये जिसमें अनुरोध किया जाये कि किसी भी मामले में स्थगन का निर्णय लेने से पूर्व परिषद को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अवश्य दिया जाये और यदि फिर भी निर्णय परिषद के पक्ष में न हो तो परिषद को पुनः अपील करने का एक अवसर दिया जाये जिसमें अधिकतम एक माह के भीतर निर्णय अवश्य ले लिया जाये ताकि अनावश्यक रूप से परिषद को योजनाओं के कार्यान्वयन में इस प्रकार से होने वाले व्यवधान के कारण परिषद को क्षति न उठानी पड़े। यह भी निर्णय लिया गया कि विपरीत निर्णय की दशा में शासन परिषद को निवेशित धनराशि की प्रतिपूर्ति भी करें और इसके लिये शासन से अनुरोध कर लिया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि बहराईच जिले के नानपारा नगर तथा फतेहपुर जिले के बिन्दकी नगर को परिषद के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाये। 2- बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष-1984-85 के लक्ष्य के विरुद्ध हुई उपलब्धता पर परिषद ने संतोष व्यक्त किया और निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवनों में अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जायें ताकि उनका लाभ समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों को शीघ्र प्राप्त हो सके। 3- भूमि अध्याप्ति अधिनियम में हुये संशोधन के फलस्वरूप जो कठिनाईयाँ आ रही हैं उसके बारे में परिषद की पिछली बैठक में विस्तार से विचार विमर्श हुआ था और यह निर्णय लिया गया था कि माननीय राजस्व मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक बैठक कराकर समस्याओं का निराकरण कराया जाये। बैठक में बताया गया कि शासन के आवास विभाग को इस सम्बन्ध में पत्र भेजा जा चुका है। निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित बैठक शीघ्र कराने का प्रयास किया जाये।
5- 250 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों का औसत मूल्य पर दिये जाने के सम्बन्ध में।		द्वितीय/(5)/85	इन दोनों मदों के बारे में एक साथ विचार किया गया और विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवासीय भूखण्डों की नीलामी हेतु निर्धारित सीमा 250 वर्गमीटर से बढ़ाकर 300 वर्ग मीटर कर दी जाये।
33-नीलामी हेतु आवासीय भूखण्डों का क्षेत्रफल सीमा बढ़ाया जाना।		द्वितीय/(33)/85	यह भी निर्णय लिया गया कि उन समस्त योजनाओं में जहाँ नीलामी द्वारा आवासीय भूखण्ड प्रयत्न करने पर भी नहीं उठ पा रहे हैं आवासीय भूखण्डों को निर्धारित आवासीय दर पर आवंटित किये जाने के लिये आवास आयुक्त अपने विवेकानुसार निर्णय लेने के लिये सक्षम होंगे।

1	2	3	4
6-	हडको वित्त पोषित 7 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(6)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
7-	श्री रविकान्त पोरवाल को दमदमा कोठी मुरादाबाद में प्रदिष्ट उच्च आय वर्ग भवन सं0-जी0-ए0-61 के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(7)/85	इन दोनों पदों के बारे में एक साथ विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में वर्तमान बयाना धनराशि जमा करायी जानी है उसमें वर्तमान धनराशि पर ही 20% कटौती की जाये किन्तु जिन मामलों में प्रदेशन पूर्व में हो चुका है तथा जिनमें अवशेष बयाना की धनराशि जमा नहीं कराया गया है उनमें पूर्व में जमा बयाना धनराशि पर पूर्व नियमानुसार ही कटौती की जाये तदनुसार नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिये जाये।
8-	लाटरी निकाले जाने अथवा प्रदेशन हो जाने के बाद प्रदिष्ट सम्पत्ति न लेने अथवा प्रदेशन की शर्तों को पूरा न किये जाने पर कटौती के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(8)/85	यह भी निर्णय लिया गया कि श्री रविकान्त पोरवाल को प्रदिष्ट उच्च आय वर्ग भवन सं0-जी0ए0-61 के निरस्तीकरण के संदर्भ में ब्याज की माफी देना उचित नहीं होगा। उनसे मूल पंजीकरण हेतु जमा बयाना धनराशि की ही 20% कटौती की जाये।
9-	डमरोली योजना, मिर्जापुर में विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	द्वितीय/9)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
10-	भेल योजना हरिद्वार के अन्तर्गत द्वितीय चरण में विकास कार्यों एवं भवन निर्माण के सम्पादन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में	द्वितीय/(10)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
11-	1- गदरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गदरपुर 2- धारी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना। 3- हाथरस भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, हाथरस में विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	द्वितीय/(11)/85	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
12-	राजाजीपुरम योजना, लखनऊ के सेक्टर-19 में पूर्व प्रदत्त-45 मध्यम आय वर्ग 53/127 प्रकार के भवनों के निर्माण के स्थान पर स्वय वित्त पोषित परियोजना 1985 के अन्तर्गत श्रेणी-I II के 59/152 प्रकार के भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(12)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
13-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2, उन्नाव।	द्वितीय/(13)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
14-	देवपुरपारा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ (क्षेत्रफल 819 एकड़ तथा अनुमानित लागत रु0 1406-7 लाख।	द्वितीय/(14)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि देवपुरपारा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ का परित्याग कर दिया जाये।
15-	मेरठ योजना सं0-1 में म0आ0व0 के दो मंजिले 3 कमरों के 380 भवनों	द्वितीय/(15)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
	के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में।		
	16- परिषद योजनाओं में शासकीय संस्थाओं को भूमि आवंटित करने के लिये नीति निर्धारण।	द्वितीय/(16)/85	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासकीय संस्थाओं को भूमि आवंटित करने के लिये प्रत्येक विशिष्ट मामले परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। यह भी निर्णय लिया गया कि डा0 रावत द्वारा प्रस्तावित इंस्टीट्यूट के बारे में पूर्ण विवरण मंगाया जाये ताकि परिषद के समक्ष म0 इन्स्टीच्यूट की उपादेयता के बारे में परीक्षण करके अगली बैठक में प्रस्तुत की जा सके। इस प्रकरण में अग्रेतर विचार आगामी बैठक में किया जायेगा।
	17- सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर 8 अ तथा 8 ब में दु0आ0व0 18/40 प्रकार के 267 तथा अल्प आय वर्ग 29/60 प्रकार के 107 भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में	द्वितीय/(17)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	18- लिपिक सेवा विनियम-1980 के भाग 4 के नियम 9 के अंश (ख)(2) में संशोधन के संबंध में।	द्वितीय/(18)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	19- बेतियाहाता भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (पश्चिम ।) गोरखपुर।	द्वितीय/(19)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	20- श्रीमती तुलसा देवी पत्नी स्व0 श्री राम सागर मिश्र को इन्दिरा नगर योजना (राम सागर मिश्र नगर) लखनऊ में दु0आ0व0 का भवन प्रदिष्ट किया जाना।	द्वितीय/(20)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	21- मोहन नगर दिल्ली लिंक मार्ग व हिल्टन कट के मध्य भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 गाजियाबाद के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव।	द्वितीय/(21)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	22- ज्ञानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी।	द्वितीय/(22)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	23- श्री गोपाल दत्त त्रिपाठी को इन्दिरानगर योजना में प्रदिष्ट साइट एवं सर्विसेज के भूखण्ड सं0-22/293 के स्थान पर दु0आ0व0 का भवन सं0-डी0-1254 को परिवर्तित किया जाना।	द्वितीय/(23)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	24- परिषद द्वारा संचालित 2 आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(24)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	25- सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग में दो आशुलिपिकों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(25)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

2	3	4
6- इन्दिरानगर आवासीय योजना की सीमा के अंदर स्थित ग्राम गाजीपुर के निवासियों के लिये नये तथा गाजीपुरम योजना के सेक्टर-। स्थित आलमनगर ग्राम के पास उजाऊ शौचालय एवं बमपुलिस सुलभ शौचालय को बनवाने के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी।	द्वितीय/(26)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
परिषद योजनाओं में सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन।	द्वितीय/(27)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिये निम्नवत् समिति गठित कर दी जाये:- 1- आवास आयुक्त — सदस्य 2- श्री मीर मजहर अली — सदस्य 3- श्री एन०एस०जौहरी — सदस्य मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक परिषद के मुख्य वास्तुविद नियोजक श्री पचौरी, समिति के सचिव होंगे। प्राप्त आवेदनों पर विचार कर समिति निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी।
... में दोहरी लेखा ... लागू किये जाने पर ...।	द्वितीय/(28)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
... के वर्ष-1977-78 ... के धन विनियोजन ... अभिलेख उपलब्ध न होने ... बारे में की गयी कार्यवाही विवरण।	द्वितीय/(29)/85	परिषद को अद्यावधिक स्थिति की जानकारी करायी गयी।
...ति ...त्रक वर्ष-1979-80 का ...रीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध	द्वितीय/(30)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
...रिषद की इन्दिरानगर आवास ...योजना लखनऊ के सेक्टर-3 में ...निर्मित 80 म०आ०व० के ...प्राविधिक सम्परीक्षण रिपोर्ट ...सम्बन्ध में।	द्वितीय/(31)/85	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रु० 1,17,833.70 की प्रतिपूर्ति का कोई स्रोत नहीं मिलने के कारण इसे बट्टे खाते में डाल दिया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि भवनों के निर्माण में व्याप्त अवरतताओं के सम्बन्ध में जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित है वह चलती रहेगी और इसे शीघ्र समाप्त कराने का प्रयत्न किया जाये।
... सुरेन्द्र कुमार ढल ...163 दालवाला गोदाम ...जभान फाटक बेलनगंज ...आगरा का पंजीकरण करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(32)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री सुरेन्द्र कुमार ढल के मामले की विशेष परिस्थितियों में इस स्तर पर पंजीकरण निर्धारित धनराशि जमा करने पर कर लिया जाये। उन्हें पंजीकरण के फलस्वरूप अन्तिम दौर की वरीयता दी जाये

2	3	3
4- आवास परिषद में मुख्यालय पर सहायक आवास आयुक्त(प्रशा0) के पद का पदनाम उच्चीकृत करके उप आवास आयुक्त(प्रशासन) करने का प्रस्ताव।	द्वितीय/(34)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सहायक आवास आयुक्त(प्रशासन) के पद का उच्चीकरण उप आवास आयुक्त(प्रशासन) के पद द्वारा कर लिया जाये और सहायक आवास आयुक्त प्रशासन का पद समाप्त कर दिया जाये।
5- सहायक आवास आयुक्त के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में सेवा विनियमावली।	द्वितीय/(35)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय और आवास आयुक्त सहायक आवास आयुक्त के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में बनायी गयी विनियमावली पर शीघ्र विचार करके अपनी प्रतिक्रिया से परिषद को अगली बैठक में अवगत करायें।
6- वर्ष-1980-81 का स्थितिपत्रक	द्वितीय/(36)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वर्ष-1977-78 के पत्रक में सम्परीक्षा द्वारा उठायी गई आपत्तियों के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(37)/85	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	द्वितीय/(38)/85	परिषद के सदस्य श्री नौनिहाल सिंह ने इस आशय का प्रस्ताव रखा कि परिषद में कार्यरत जिन अभियन्ताओं/अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही चल रही है उनमें अनावश्यक विलम्ब होने के कारण उनकी प्रोन्नति आदि रुकी पड़ी है इसमें शीघ्रता की जाये तथा ऐसे अधिकारियों की सूची परिषद की अगली बैठक में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये रखी जाये। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी मामलों में त्वरित गति से कार्यवाही करायी जाये और समयबद्ध ढंग से लम्बित कार्यवाही पूरी करायी जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि वांछित सूची तैयार करके अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये। 2- दूसरा प्रस्ताव श्री नौनिहाल सिंह परिषद सदस्य ने इस आशय का रखा कि अमरोहा आवासीय योजना में सर्वश्री रविकान्त तथा शशिकान्त की अवशेष भूमि मन्दिर के लिये रास्ता छोड़कर ले-आउट से बची है वह आवास परिषद के किसी प्रयोजन की नहीं है इसकी आवश्यक सूचना एकत्र कर अगली बैठक में विचारार्थ रखी जाये। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में स्थल से जांच रिपोर्ट मंगा ली जाये और वस्तुस्थिति से परिषद को अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गयी

[illegible]
अध्यक्ष

11-7-85